



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 497 राँची, सोमवार,

21 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग |

संकल्प

28 जून, 2023

संख्या-8/आरोप-12/2017 का० 3710--चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विजय कुमार भगत, तत्कालीन अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सम्प्रति-उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक-2534 दिनांक-16.06.2017 द्वारा प्रशासी विभाग की संचिका भा०व०से० (आ0)-133/2003 को ढाई साल से अधिक अवधि तक दबाकर रखने संबंधी प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है ।

2. श्री भगत, तत्कालीन अवर सचिव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप उनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान एवं प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत श्री भगत के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रमाकान्त सिंह भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
